

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (म0प्र0)

// नवीन कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक-52 / F-33/S.W/2026

देवास दिनांक-24.08.2026

मैं, कपिल मेहता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(7), 8(8), 214, 422(2) के अंतर्गत प्रदत्त (Conferred) शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, इस निमित्त प्रवृत्त पूर्ववर्ती समस्त आदेशों दिनांकित 13.05.2026, 22.05.2026 एवं 24.07.2026 को अधिक्रमित करते हुए सिविल जिला, देवास एवं सत्र खण्ड देवास में निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ। यह नवीन कार्य विभाजन आदेश दिनांक 25.08.2026 से प्रभावशील होगा :-

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों की प्रकृति
01.	02.	03.	04.
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (श्री कपिल मेहता)	सिविल जिला देवास	- समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 10,00,00,000/- (दस करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर) - स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। - जिला मुख्यालय, देवास पर कार्यरत समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड, तहसील न्यायालय टोंकखुर्द में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायालय, देवास तथा कालान्तर में उक्त न्यायालयों में स्थानांतरण पर पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों के विरुद्ध सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। - मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, अंतर्गत चुनाव याचिकाएं (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर) - मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप देवास के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले एवं स्थानीय निवास करने वाले संबंधित

			दावेदारों द्वारा प्रस्तुत, मृत्यु से संबंधित सभी मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 7. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी देवास के आदेश से उद्भूत अपीलें। 8. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उद्भूत अपीलें। 9. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील देवास एवं टोंकखुर्द) 10. धारा 307 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त व्यवहार वाद। 11. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 2018 का 18) की धारा 20(ख) के अंतर्गत सिविल जिला, देवास में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, (म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रं. 4779/2022/इक्कीस/ब/(एक) 2022 दि. 23.12.2022 अनुसार) 12. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 13. समस्त व्यवहार वाद, आवेदन, याचिकाएं, अपील एवं कार्यवाहियां जो तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत होती हैं व जो संज्ञान हेतु अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं।
		सत्र खण्ड, देवास	14. अनन्य रूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समस्त आवेदन एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरण। 15. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 16. सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1993 से उद्भूत प्रकरण। 17. किशोर न्याय बोर्ड, देवास द्वारा पारित आदेश से उद्भूत अपीलें। 18. सत्र खण्ड देवास के अंतर्गत समस्त आरक्षी

			केन्द्र आबकारी वृत्त सहित देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्भूत होने वाले समस्त जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एस.सी./एस.टी. एक्ट, एन.डी.पी.एस.एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अतिरिक्त) एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण यांचिकाएं। 19. सत्र खण्ड देवास की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे अन्य आपराधिक प्रकरण, जिनके संबंध में किसी अन्य अपर सत्र न्यायाधीश को प्राधिकृत नहीं किया गया है।
02.	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	सत्र खण्ड, देवास	1. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विशेष प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्रों सहित। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरण, व्यवहार अपीलें, सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य समस्त प्रकरण।
03.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) (श्री उमाशंकर अग्रवाल)	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक किन्तु 3,00,00,000/- (तीन करोड़) रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप सिविल लाईन व विजयागंज मण्डी देवास के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले व उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत, मृत्यु दावों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

			5. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण।
	सत्र खण्ड देवास		6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) 7. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (2019-का 21) के सिविल जिला, देवास अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अंतर्गत उद्भूत अपीलें (ग्राम न्यायाधिकारी, देवास) 9. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विचारण हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 10. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
04.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (श्री नरेन्द्र पटेल)	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप सिटी कोतवाली देवास व औद्योगिक क्षेत्र, देवास के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले व उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत, मृत्यु दावों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. तहसील-टोंकखुर्द की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत, कुदुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 07 के अधीन, वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 4. समस्त जिला न्यायालय (मुख्यालय-देवास) जो वर्तमान में रिक्त है, अस्तित्व में नहीं है या वे न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत हैं किन्तु उन्हें सिविल न्यायिक कार्य आवंटित नहीं किया गया है, ऐसे न्यायालयों के निर्णय/आदेशों से उद्भूत होने वाली समस्त कार्यवाहियां एवं अनुषांगिक कार्यों का प्रभार अनन्य रूप से इस

			न्यायालय को रहेगा।
		सत्र खण्ड देवास	5. आरक्षी केन्द्र, देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 7. समस्त अपर सत्र न्यायालय (मुख्यालय-देवास) जो वर्तमान में रिक्त है या अस्तित्व में नहीं है, ऐसे न्यायालयों के निर्णय/आदेशों से उद्भूत होने वाली समस्त कार्यवाहियां एवं अनुषांगिक कार्यों का प्रभार अनन्य रूप से इस न्यायालय को रहेगा।
05.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन. डी.पी.एस.एक्ट) (डॉ. श्री रविकान्त सोलंकी)	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 3,00,00,000/- (तीन करोड़) से अधिक किन्तु 10,00,00,000/- (दस करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप बैंक नोट प्रेस व नाहर दरवाजा, देवास के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले व उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत, मृत्यु दावों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 6. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक

			मूल्यांकन के प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड देवास	8. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन. डी.पी.एस. एक्ट) के प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र व अन्य आवेदन आदि। (अधिसूचना अनुसार) 9. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) 10. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
06.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT) देवास (श्री प्रसन्न सिंह बहरावत)	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द (सत्र खण्ड देवास)	2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत तथा जिन मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी अपराध दर्ज हो, ऐसे मामलों में प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं प्रकरण।
07.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003 (श्री अभिषेक गौड़)	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप बरोठा व टोंकखुर्द जिला देवास के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले व उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय

			निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत, मृत्यु दावों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रोबेट प्रकरण। 3. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 अंतर्गत प्रकरण। 6. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 7. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द (सत्र खण्ड देवास)	9. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रकरण एवं तत्सम्बंधी जमानत आवेदन पत्र व निराकृत विद्युत प्रकरणों से सम्बंधित उत्पन्न होने वाली समस्त विविध कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 10. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
	08. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003 (श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान)	तहसील सोनकच्छ	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व से रिक्त जिला न्यायाधीश सोनकच्छ के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

		3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 6. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में (आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, भौरासा व पीपलरांवा उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 7. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 8. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 13. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण। 14. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
--	--	---

		15. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 16. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 17. प्रोबेट प्रकरण। 18. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 19. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 20. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	तहसील सोनकच्छ सत्र खण्ड सोनकच्छ	22. सिविल न्यायालय सोनकच्छ के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 23. तहसील सोनकच्छ के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ, भौरासा, पीपलरांवा आबकारी वृत्त सोनकच्छ से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस. सी./एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 24. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। 25. संपूर्ण तहसील सोनकच्छ के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से संबंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र।

			26. सत्र खण्ड, सोनकच्छ की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना अनुसार) 27. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
09.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, एवं विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003) (श्री सुखराम सीनम)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड बागली एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, बागली द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर के क्षेत्राधिकार (समस्त आरक्षी केन्द्र) में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

WVW

			9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 13. प्रोबेट प्रकरण। 14. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 15. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 16. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण। 17. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 18. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 19. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 20. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर (सत्र खण्ड बागली)	22. विद्युत अधिनियम 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 23. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 24. सिविल न्यायालय बागली के वर्तमान एवं

			रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 25. तहसील बागली के क्षेत्राधिकार अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र बागली एवं समस्त आबकारी वृत्त बागली से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी./एस. टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 26. संपूर्ण तहसील बागली के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से संबंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र। 27. सत्र खण्ड, बागली की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 28. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
10.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद एवं विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003) (श्री मनीष भट्ट)	तहसील कन्नौद एवं सतवास	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कन्नौद, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/ कनिष्ठ खण्ड कन्नौद, तथा पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न

		सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 5. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 6. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 7. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील कन्नौद के क्षेत्राधिकार (समस्त आरक्षी केन्द्र) में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 9. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 10. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 11. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के समस्त प्रकरण। 12. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 13. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण। 14. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 15. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 16. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		17. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं

		तहसील कन्नौद एवं सतवास (सत्र खण्ड कन्नौद)	तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 18. सिविल न्यायालय कन्नौद के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 19. तहसील कन्नौद के क्षेत्राधिकार अंतर्गत समस्त आबकारी वृत्त से तथा आरक्षी केन्द्र कन्नौद व कांटाफोड से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन (एस.सी/एस. टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन व उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 20. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। 21. सत्र खण्ड, कन्नौद की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 22. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
11.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद (श्री अमित निगम)	तहसील कन्नौद एवं सतवास	1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील सतवास के क्षेत्राधिकार (समस्त आरक्षी केन्द्र) में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त।

		3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 4. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 5. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 6. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 7. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		9. तहसील सतवास के क्षेत्राधिकार अंतर्गत समस्त आबकारी वृत्त से तथा आरक्षी केन्द्र सतवास से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन(एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन व उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 10. संपूर्ण तहसील कन्नौद के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से संबंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र। 11. सिविल न्यायालय कन्नौद के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 12. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।



12.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (श्रीमती सीता कन्नोजे)	तहसील खातेगांव	1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 2. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप आरक्षी केन्द्र नेमावर तहसील खातेगांव के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खातेगांव एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 5. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 7. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 8. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 9. प्रोबेट प्रकरण। 10. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 11. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 12. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 अंतर्गत प्रकरण। 13. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 14. भू-अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 15. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं
-----	--	----------------	--

			पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 16. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 17. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील खातेगांव (सत्र खण्ड, खातेगांव)	18. सत्र खण्ड, खातेगांव की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 19. संपूर्ण तहसील खातेगांव के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वन विभाग/वन्य विधि के अधीन, वन्य विधियों (Forest Laws) से संबंधित जमानत आवेदन-धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत तथा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आदि आवेदन पत्र। 20. तहसील खातेगांव पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 21. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
13.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003) (श्री विवेक शिवहरे)	तहसील खातेगांव	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील खातेगांव अंतर्गत आरक्षी केन्द्र खातेगांव एवं हरणगांव के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास

		करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 8. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/- रुपये से अधिक एवं 1000/- रुपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
	तहसील खातेगांव (सत्र खण्ड, खातेगांव)	10. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचनानुसार) 11. तहसील खातेगांव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र खातेगांव व समस्त आबकारी वृत्त खातेगांव से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस. सी./एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 12. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। 13. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित

			किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
14.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्री भारत सिंह कनेल)	तहसील देवास	1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 450 के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। (सत्र खण्ड देवास) 2. ग्राम पंचायतों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपीलें। (सत्र खण्ड देवास) 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
15.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास (श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन)	तहसील देवास	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 50,00,000/- (पचास लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1,00,000,00/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह जुलाई से दिसंबर की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) 2. लघुवाद रुपये 200/- से अधिक किन्तु 500/- रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 3. स्वयं के न्यायालय व प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवास एवं पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण जिसके लिए अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास के व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के क्षेत्रांतर्गत है।
16.	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड देवास (श्रीमती साक्षी कपूर)	जिला देवास	किशोर न्याय बोर्ड, देवास के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां।
17.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवास (श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी)	तहसील देवास	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (2009 का 4) तहसील देवास के अंतर्गत 25000/- रुपये की राशि तक के आर्थिक क्षेत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के

			निम्नानुसार मामले जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :- (i) सिविल विवाद: (क) संपत्ति कय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, (ii) संपत्ति विवाद: (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार (iii) अन्य विवाद: (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ङ) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
18.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री दीक्षा दोहरे)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 50,000,00/- (पचास लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह जनवरी से जून की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम-1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरण।

			4. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
19.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (कुंवर श्री युवराज सिंह)	तहसील देवास	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
20.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्री अभिजीत सिंह)	तहसील देवास	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 50,000,00/- (पचास लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह जुलाई से दिसंबर की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
21.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती नेहा पाराशर)	तहसील देवास	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 50,00,000/- (पचास लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1,00,000,00/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह जनवरी से जून की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील टोंकखुर्द (सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)	3. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण।

			6. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 7. लघु वाद मूल्यांकन 200/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 8. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण।
22.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री मोनिता वानखेडे)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह सितंबर एवं अक्टूबर की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
23.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती किरण सिंह)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह अप्रैल, मई एवं जून की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत सिविल जिला देवास अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रुपये 200/- मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, देवास के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
24.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह जुलाई एवं अगस्त की अवधि में प्रस्तुत होने

			वाले वादों के संबंध में।) - स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। - अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। - प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
25.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री चन्द्रा पंवार)	तहसील-देवास	समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह नवंबर एवं दिसंबर की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) - स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। - प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
26.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास (सुश्री नेहा उपाध्याय)	तहसील देवास (सिविल न्यायालय, देवास)	समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। (माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।) - स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। - प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
27.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय)	तहसील टोंकखुर्द (सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
28.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (सुश्री आयुषी श्रीवास्तव)	तहसील टोंकखुर्द (सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)	- समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। - वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक

(Handwritten signature)

			के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/- (दो सौ) रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 6. अन्य सभी सिविल प्रकरण, जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं।
29.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ (श्री दशरथ सिंह भीड़े)	तहसील सोनकच्छ	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
30.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ (श्रीमती परिधि गुप्ता)	तहसील सोनकच्छ (सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ एवं तहसील सोनकच्छ के अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो सोनकच्छ में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 5. लघु वाद मूल्यांकन 200/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 6. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम

			1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
31.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ (सुश्री प्राची गुनवान)	तहसील सोनकच्छ (सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय सोनकच्छ के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/- (दो सौ) रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
32.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, (श्रीमती बबीता प्रजापत)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर (सिविल न्यायालय, बागली)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील बागली के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो बागली में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत

Handwritten signature

			हैं। 5. लघु वाद मूल्यांकन 200/- रुपये से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 6. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
33.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (सुश्री निशा कुशवाह)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर (सिविल न्यायालय, बागली)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 1. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 2. लघु वाद रुपये 200/- (दो सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. तहसील मुख्यालय बागली पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
34.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (सुश्री आयुषी मालवीया)	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
35.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद (सुश्री उषा उईके)	तहसील कन्नौद, सतवास (सिविल न्यायालय, कन्नौद)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से व द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कन्नौद एवं ग्राम न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं

			विविध कार्यवाहियां। 3. लघु वाद 200/- रुपये (दो सौ) से अधिक किन्तु 500/- (पांच सौ) रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 6. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो कन्नौद में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 7. तहसील कन्नौद पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं वर्तमान के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) तहसील कन्नौद एवं सतवास के अंतर्गत 25000/- रुपये की राशि तक के आर्थिक क्षेत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के निम्नानुसार मामलों जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :- (i) सिविल विवाद: (क) संपत्ति कय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, (ii) संपत्ति विवाद: (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार (iii) अन्य विवाद: (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
--	--	--	--

			(1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ङ) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
36.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्रीमती सोनाली शर्मा)	तहसील कन्नौद, सतवास	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
37.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्री कुंदन कछवाहे)	तहसील कन्नौद एवं सतवास (सिविल न्यायालय, कन्नौद)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 4. लघु वाद रुपये 200/- (दो सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय कन्नौद के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त एवं वर्तमान न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
38.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्रीमती राधा उइके)	तहसील खातेगांव (सिविल न्यायालय, खातेगांव)	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) से अधिक किन्तु रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण

			एवं विविध कार्यवाहियां। 3. लघु वाद रुपये 200/- (दो सौ) रुपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं। 5. तहसील न्यायालय खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण।
39.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव (तनिष्का वैष्णव)	तहसील खातेगांव	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रुपये से अधिक किन्तु रु. 5,00,000/- (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) रुपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 4. लघु वाद 500/- (पांच सौ) रुपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 6. तहसील मुख्यालय खातेगांव पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।

प्रतिभूति आवेदन-पत्रों के संबंध में

(1)- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास के किसी भी प्रकार के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर उपलब्ध न होने की दशा में धारा-482,483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन प्रथम प्रतिभूति आवेदन-पत्र, निम्नानुसार तालिका में वर्णित अपर सत्र न्यायालयों में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये आरक्षी केन्द्रों के अपराध संबंधी अभियुक्तों के प्रस्तुत किये जाएंगे, जो संबंधित न्यायालय को विधिवत सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित समझे जाएंगे :-

कं	आरक्षी केन्द्र का नाम	सुनवाई हेतु अधिकृत न्यायालय	
		प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
01.	औद्योगिक क्षेत्र, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
02.	(A)-सिटी कोतवाली, देवास (B)-नाहर दरवाजा, देवास	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
03.	विजयागंज मंडी (देवास)	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास
04.	(A)-सिविल लाईन, देवास (B)-टोंकखुर्द, (देवास)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
05.	(A)-बी.एन.पी. देवास (B)-बरोठा, (देवास)	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास

(2)- उपरोक्त तालिका में वर्णित **प्रथम एवं द्वितीय प्रभार धारण करने वाले दोनों** न्यायाधीशगण यदि अवकाश पर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति आवेदन-पत्र उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप ही न्यायालयों के प्रभार सम्बन्धी सारणी में सम्बन्धित **द्वितीय प्रभार वाले न्यायालय के आवश्यक कार्यों का प्रभार धारित करने वाले न्यायालय** में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3)- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास के किसी भी प्रकार के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर उपलब्ध न होने की दशा में पूर्व में निराकृत, आरोपी से संबंधित द्वितीय एवं अन्य प्रतिभूति आवेदन पत्र तथा एक ही अपराध क्रमांक में सह आरोपी द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र उसी न्यायाधीश द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जाएंगे, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती प्रतिभूति आवेदन-पत्र का निराकरण किया गया है।

(4)- माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, देवास के किसी भी प्रकार के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर उपलब्ध न होने की दशा में ऐसे प्रकरणों जिन्हें सत्र न्यायालय को उपापित नहीं किया गया है या उन्हें किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित नहीं किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, वहां एक ही अपराध क्रमांक में प्रस्तुत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के पूर्व में निराकृत आवेदन पत्रों के पश्चात्पूर्वी प्रतिभूति आवेदन पत्र ऐसे न्यायाधीश या उनके प्रभारी न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा श्रवण एवं निराकृत किये जा सकेंगे, जिनके द्वारा प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र निराकृत किया गया है।

न्यायालयों के प्रभार के संबंध में

मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा 15, 18, 19 व 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सिविल जिला देवास में पदस्थ न्यायाधीशगण के किसी भी प्रकार के अवकाश पर होने अथवा मुख्यालय पर उपलब्ध न होने की दशा में न्यायालयों के आवश्यक कार्यभार सम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :-

क्रं.	न्यायालय का नाम	प्रथम-प्रभार	द्वितीय-प्रभार	तृतीय-प्रभार
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
02.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
03.	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/2264/III-6-3/90 दिनांक 14.09.2020 अनुसार)	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
04.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास के
05.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय अति. न्यायाधीश देवास
06.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय अति. न्यायाधीश देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
6 (A)	विशेष न्यायाधीश, एन.डी. पी.एस. एक्ट 1985 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार)	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
07.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT) देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय अति. न्यायाधीश देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास
08.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय अति. न्यायाधीश देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास

[illegible]

32	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
33	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अति. व्यवहार न्यायाधीश, देवास
34	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली
36	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खातेगांव,
38	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद

टिप्पणी:-

- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना क्रमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (S.C./S.T. Act) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय मुख्यालय, देवास पर उपलब्ध **वरिष्ठतम (Senior most)** अपर सत्र न्यायाधीश को क्रमानुवर्ती अनुक्रम में अधिकृत किया जाता है।
- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना क्रमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S.Act) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों

के निपटान हेतु मुख्यालय, देवास पर उपलब्ध **वरिष्ठतम (Senior most)** अपर सत्र न्यायाधीश को कमानुवर्ती अनुक्रम में अधिकृत किया जाता है।

- 3- बाह्यवर्ती तहसील मुख्यालयों (तहसील टोंकखुर्द को छोड़कर शेष) पर कार्यरत न्यायालयों में पदस्थ-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) द्वारा, जिनके न्यायालयों में सत्र न्यायालय के विचारण योग्य सम्बंधित तहसील अंतर्गत आरक्षी केन्द्र में दर्ज अपराधों से सम्बंधित प्रकरण प्रस्तुत किये जाते हैं तथा जिनमें से, अनन्यरूपेण **सत्र न्यायालय** के विचारण योग्य मामलों को सम्बंधित अपराध सत्र न्यायालय में उनके द्वारा उपार्पित किया जाता है, वे सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निम्नानुसार सम्बंधित अपर सत्र न्यायाधीश, को उपार्पण उपरांत प्रकरण उपार्पित करते हुए, तत्सम्बंधी सूचना माननीय सत्र न्यायाधीश, देवास को प्रेषित करेंगे:-

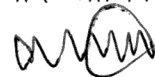
- (i) तहसील सोनकच्छ (सत्र खण्ड) के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र, से उद्भूत अपराधों से संबंधित प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ के न्यायालय में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पण उपरांत प्रेषित करेंगे।
- (ii) तहसील बागली के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र, बागली, हाटपीपल्या, उदयनगर एवं कमलापुर के अंतर्गत उद्भूत अपराधों से संबंधित प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बागली के न्यायालय में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पण उपरांत प्रेषित करेंगे।
- (iii) तहसील कन्नौद के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र, कन्नौद के अंतर्गत उद्भूत अपराधों से संबंधित प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद एवं आरक्षी केन्द्र कांटाफोड़ एवं सतवास के अंतर्गत उद्भूत अपराधों से संबंधित प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद के न्यायालय में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पण उपरांत प्रेषित करेंगे।

- 3A- उपरोक्तानुसार, उपार्पण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरणों को सम्बंधित अपर सत्र न्यायाधीश वहीं तहसील मुख्यालय पर सी.आई.एस. साफ्टवेयर में विधिवत् पंजीयन कराएंगे तथा उनका विचारण प्रारंभ करेंगे व ऐसे सभी सत्र प्रकरणों को सम्बंधित अपर सत्र न्यायालय को विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित समझा जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत तहसील मुख्यालयों (सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) पर कार्यरत अपर सत्र न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र पर उद्भूत सत्र प्रकरणों के सम्बंध में भी उपरोक्तानुसार ही व्यवस्था लागू रहेगी।

- 4- इसी प्रकार अपर सत्र न्यायाधीश (सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) को जिन दाण्डिक न्यायालयों के निर्णय व आदेशों से उद्भूत आपराधिक अपील प्रकरणों व आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत किया गया है, के न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले सभी आपराधिक अपील व पुनरीक्षण प्रकरणों को वहीं पर सम्बंधित तहसील मुख्यालय (सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) पर सी.आई.एस.साफ्टवेयर में विधिवत् पंजीयन कराएंगे तथा उनकी सुनवाई प्रारंभ करेंगे और ऐसे सभी प्रकरण सम्बंधित तहसील मुख्यालय पर कार्यरत अपर सत्र न्यायालय को विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित समझे जाएंगे।



- 5- न्यायिक जिला देवास के ऐसे प्रकरण जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो एक्ट) के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1988 का भी अभियोग है, उनकी रिमांड कार्यवाही, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अभियोग पत्र संबंधी कार्यवाहियां सीधे, विशेष न्यायालय—**चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) देवास** में प्रस्तुत की जाएगी।
- 6- इस न्यायिक जिला स्थापना पर तत्समय कार्यरत सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8(8) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा सुनवाई कर निराकृत किए जाएंगे।
- 7- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली की श्रृंखला न्यायालय कन्नौद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक) कन्नौद जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं। इन न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकरण एवं न्यायिक कार्य तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों हेतु प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद को रिक्त न्यायालयों का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायालय से संबंधित सभी प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत किये जाएंगे।
- 8- इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत समस्त व्यवहार न्यायाधीश जिनको सिविल कार्य आवंटित नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में उनके न्यायालय को सिविल कार्य के संबंध में रिक्त न्यायालय समझा जावें।
- 9- जिला मुख्यालय, देवास पर पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन व विविध कार्यवाहियां संबंधित न्यायालय को ही फाईलिंग उपरांत प्रेषित की जावेगी।
- 10- इस न्यायिक जिला स्थापना पर किसी नवीन न्यायालय में न्यायाधीश की पदस्थापना होने की दशा में उनके न्यायालय का कार्यभार कनिष्ठतम् (Junior Most) न्यायाधीश को रहेगा।
- 11- बाह्यवर्ती तहसील न्यायालयों में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीशगण के न्यायालयों में लंबित नियमित सुनवाई के सभी आपराधिक प्रकरणों को सम्बंधित अपर सत्र न्यायाधीश व उनके स्थानीय प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश (जहां एकाधिक अपर सत्र न्यायाधीश पदस्थ हों) की अनुपस्थिति में सम्बंधित स्थानीय तहसील न्यायालय में पदस्थ कमवर्ती वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, जो तत्समय उपलब्ध होंगे, वे प्रभारी न्यायाधीश के रूप में प्रकरणों की कार्यवाहियों को यथावत् आगामी तिथि तक बढ़ाए जाने हेतु अधिकृत रहेंगे।
- 12- सिविल जिला-देवास अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद सम्बंधी ऐसे प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रु. 3,00,000/-से अधिक हो, उनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार पदाभिहित(Designated) वाणिज्यिक न्यायालय, इन्दौर को होने से, उक्त सभी वाद आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।



- 13- मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सिविल जिला देवास में कार्यरत सभी व्यवहार न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश (Vacation) अथवा अन्य 5 दिवस से अधिक के दीर्घकालीन अवकाशों में अत्यावश्यक प्रकृति के व्यवहार प्रकरणों को प्राप्त कर,उनका नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में अत्यावश्यक कार्य हेतु क्रमानुसार व्यवस्था अंतर्गत प्राधिकृत जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला मुख्यालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालयों के मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक कार्यों (Urgent Work) को संपादित किया जाएगा।


24-08-2026
(कपिल मेहता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/3354 /एस0डब्ल्यू0/2026
प्रतिलिपि-

देवास, दिनांक-24.08.2026

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देवास,
03. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण अधिनियम) देवास,
04. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.)
05. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.)
06. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास
07. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.)
08. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. कलेक्टर, जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. पुलिस अधीक्षक, देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त थाना प्रभारीगण, पुलिस थाना, जिला-देवास (म.प्र.) (सम्पूर्ण) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
12. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. केंद्रीय पंजीयन अनुभाग, देवास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. उपसंचालक, अभियोजन, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव, जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव जिला-देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

3
24/8/26
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)